न्यायालय उप खण्ड़ अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 195/2015

उनवान

1. मदनलाल पुत्र बन्शीधर जाति नाई निवासी वार्ड नं0 11 शाहपुरा जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)
1/1 बर्फी देवी पत्नी स्व0 मदनलाल
1/2 मोहनलाल
1/3 द्वारकेश
1/4 बृजेश कुमार } पुत्रान मदन लाल जाति नाई नि. वार्ड 11 पंसारियो का मोहल्ला शाहपुरा , जयपुर
1/5 राजा देवी पुत्री मदन लाल पत्नी राजेन्द्र सैन नि. वार्ड 23 कचिमागढ, तह. श्रीमाधोपुर जिला सीकर
1/6 तारा देवी उर्फ गुडडी पुत्री मदन लाल पत्नी शिम्भू दयाल सैन नि. वार्ड 3 स्टेशन रोड पेट्रोल पम्प के पिछे श्रीमाधोपुर जिला सीकर
1/7 कविता सैन पुत्री मदन लाल पत्नी चन्द्रमोहन सैन नि. ब्रहमपुरी, खण्डेला जिला सीकर

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नी बंशीधर (मृतक नाम हजफ दि. 1.2.2019)
2. दुर्गाप्रसाद पुत्र बंशीधर (मृतक दौराने दावा)
2/1 कृष्ण कुमार
2/2 मुकेश कुमार } पुत्रान दुर्गाप्रसाद जाति नाई नि. वार्ड 11 दिल्ली दरवाजे के पास शाहपुरा जिला जयपुर।
2/3 विमला देवी पुत्री दुर्गा प्रसाद पत्नी सुरेश नाई नि. साईवाड तह. शाहपुरा, जयपुर
2/4 रोशन कुमार पुत्री दुर्गा प्रसाद पत्नी रवि नाई नि. छावनी, नीमकाथाना, सीकर
2/5 मंजू उर्फ बेबी पुत्री दुर्गा प्रसाद पत्नी श्यामलाल नाई नि. क्वाटर नं. 20 पी.एम.आई कालॉनी भवानी सिंह रोड 22 गोदाम, जयपुर
3. सत्यनारायण पुत्र बंशीधर नाई (मृतक दौराने दावा)
3/1 राजकुमार पुत्र सत्यनारायण नाई नि. 1/5 बुध विहार फेज1, नई दिल्ली
3/2 पंकज कुमार पुत्र सत्यनारायण नाई (नाम हजफ आदेश दि. 1.2.2019)
3/3 कोयली पत्नी सत्यनारायण नाई नि.शाहपुरा हाल नि. 1/5 बुधविहार, नई दिल्ली
3/4 विमला देवी पुत्री सत्यनारायण नाई नि.शाहपुरा हाल नि. 1/5 बुधविहार, नई दिल्ली
3/5 रतना पुत्री सत्यनारायण पत्नी अरूण
3/6 सन्तोष कुमारी पुत्री सत्यनारायण पत्नी वरूण जाति नाई निवासी नगला डेयरी म0नं0 176 हरफुल विहार दिल्ली
3/7 शालु पुत्री सत्यनारायण पत्नि राकेश नाई निवासी न्यू टावन प्रर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद
4. हरिनारायण पुत्र बन्शीधर जाति नाई निवासी वार्ड नं0 11 खारी कुई के पास शाहपुरा
5. मीरा पुत्री बन्शीधर पत्नि ओमप्रकार जाति नाई निवासी कावट हॉलवासी श्यामनरगर 160 फुट नागल रोड नाडी का फाटक बैनाड रोड जयपुर ।
6 पटवारी हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
7. उप पंजीयक अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
9. मंगलचन्द
10. मोहनलाल } पुत्रान प्रभातराम जाति जाट निवासी ढाणी तमियावाली तन शाहपुरा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.)

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी ए

आदेश दिनांक 7/4/2021

वादीगण की ओर से उपर्युक्त उनवानी संस्थित वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्तकरी अधिनियम 1955 के तहत जरिये अधिवक्ता श्री रविशंकर अग्रवाल ने दिनांक 2.12.2015 को न्यायालय हाजा में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम शाहपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 3202 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा में स्थित है जिसमें वादी का 1/6 भाग व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 का 5/6 भाग खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित आराजीयात पक्षकारान की सम्मिलित सह खातेदारी एवं कब्जे की भूमि है, जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 5 पृथक पृथक काबिज रहकर काश्त व उसके बिना किशी बाधा के पूर्ण रूप से उपयोग व उपभोग करते आ रहे है तथा वादी व प्रतिवादीगण ने उत्तर दक्षिण व पश्चिम की तरफ करीब 5, 6 फीट ऊँचा डण्डा लगा रखा है। वादी व प्रतिवादी के मध्य उक्त विवादित आराजी का आज तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है तथा वादी व प्रतिवादी अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है । वादी ने जाहिर किया कि प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 ने नाजायज संगठन बना रखा है व बिना किसी अधिकार के आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा कराये ही आराजी के विशिष्ट भू भाग को अन्य दीगर को बेचान करना एवं वादी के कब्जे की भूमि को जबरन बैदखलन कर स्वंय कब्जा करना एवं भूमि मुतनाजा पर निर्माण करना चाहते है । अर्सा 3 रोज पूर्व वादी आराजी मुतनाजा के अपने हिस्से की देखरेख कर रहा था कि प्रतिवादीगण 2–3 अजनबी व्यक्तियों को लेकर आराजी मुतनाजा पर आये तथा विशिष्ट भू भाग को बैचान करने की बातचीत करने लगे । वादी ने प्रतिवादीगण को उपरोक्त भूमि का बिना बंटवारा कराये बैचान नहीं करने व अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा कराने हेतु कहा तो वे वादी से झगडा करने पर आमादा हो गये व बंटवारा करने से इन्कार करते हुए आराजी के विशिष्ट भू भाग को अन्य दीगर व्यक्ति को बेचने व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कराने, भूमि में निर्माण व खुर्दबुर्द करने की धमकी देने पर यह वाद पत्र पेश किया गया । अन्त में वादी ने निवेदन किया कि उक्त आराजी का वादी के 1/6 भाग का बंटवारा कराया जाकर पृथक से लगान निर्धारित व खातेदारी नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के हिस्से व बंटवारे की भूमि को शांति पूर्वक रहकर काबिज काश्त करने देवें ।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई तथा दावा काबिले समात होना पाया जाने पर दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की सुनवाई के लिए जरिये सम्मन तलबी करवाई गई । उभय पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एवं प्रकरण में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का विधिवत सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जाकर पक्षकारान की सहमति से आराजी वादग्रस्त का विधिक रूप से विभाजक स्वीकार करने के लिए प्रश्नागत प्रकरण में दिनांक 27.07.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी कर लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा से आराजी वादग्रस्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अभिलिखित सहखातेदारी के हिस्से के रकबे का निर्धारण कर मौके पर कब्जा एवं पक्के निर्माण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए खातेदारो का पृथक पृथक रकबा दर्शाते हुए सरस नरस के आधार पर बंटवारानामा की कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई ।

तहसीलदार शाहपुरा की ओर से अपने पत्र कमांक /भू0अ0/2020/ 2100 दिनांक 10.08.2020 के संलग्न प्रस्तावित बंटवारानामा की कुर्रेजात की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान प्रतिवादी सं. 4 के द्वारा बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गई तथा वकील वादी द्वारा आपत्ति कुर्रेजात का जवाब पेश किया गया । वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 4 ने अपने आपत्ति प्रा0पत्र के संबंध में निवेदन किया कि दि. 27.07.2020 को बिना प्रार्थी को सुचना व सुनवाई के एक पक्षीय रूप से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई गई है, कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 10.08.2020 को तैयार करते समय प्रार्थी को सुचना नहीं दी गई तथा तहसीलदार शाहपुरा द्वारा स्वयं कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार नही की गई है, प्रार्थी का खसरा नं. 3202 में पूर्व–पश्चिम लम्बाई में उत्तरी प्रथम हिस्से पर शुरू से कब्जा काश्त रहा है जबकि उत्तरी प्रथम हिस्सा वादी के हिस्से में तैयार किया गया है। बंटवारा रिपोर्ट बिना साक्ष्य तनकीयात के तैयार करवायी गयी है, बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट भूमि के बाजार कीमत को ध्यान में नही रखकर तैयार की गई है तथा बंटवारा रिपोर्ट पर राजस्व मण्डल के नियमों की कतई ही पालना नहीं हुई है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र स्वीकार कर पुनः बंटवारा रिपोर्ट मगवाई जावे जिसके संबंध में वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 4 ने नजीरे पेश की जिनका भी अवलोकन किया गया– RRD 2011 पेज नं. 202, RRD 2009 पेज नं. 310, RRD 2011 पेज नं. 46, RBJ 1997 पेज नं. 315, RBJ(16) 2009 पेज नं. 479, RRD 2003 पेज नं. 193, RRD 2003 पेज नं. 32 ।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.)

वकील अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब प्रा0पत्र के संबंध में निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर बंटवारा रिपोर्ट मंगवायी गयी है जो बिल्कुल सही एवं नियमानुसार है, बंटवारा रिपोर्ट दिनांक 10.08.2020 सभी पक्षकारान की मौजूदगी व जानकारी में रही है। बंटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा के आदेश एवं निर्देशानुसार वस्तुस्थिति के अनुसार मौके पर आपसी मनबंट के अनुसार तैयार की गई है, प्रतिवादी सं. 4 द्वारा बंटवारा रिपोर्ट पेश होने के काफी समय बाद आपत्ति पेश की गई है। आ.ख.नं. 3202 में उत्तरी तरफ पूर्व–पश्चिम लम्बाई में हिस्सा 1/5 पर शुरू से ही वादी का कब्जा काश्त रहा है इस पर वादी के अलावा अन्य किसी का कोई संबंध अधिकार कब्जा नही रहा है। बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट विधि अनुसार है। बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रत्येक पक्षकार के हिस्से व कब्जे अनुसार सभी आवश्यक बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 4 के अलावा किसी भी पक्षकार ने बंटवारा रिपोर्ट पर आपत्ति पेश नही की गई है, प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 4 प्रकरण को अनावश्यक देरी करने की गरज से आपत्ति पेश की गई है अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज कर तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जावे। वकील प्रतिवादी सं. 2 के वारिसान की ओर से प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात की दौराने बहस संबंध में निवेदन किया कि तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट सही है तथा बंटवारा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई तथा पत्रावली के तथ्यों एवं प्रस्तुत रिकार्ड शाहदत, नजीरे, करेंजात की रिपोर्ट एवं आपति प्रार्थनापत्रों व जवाबो का अवलोकन एवं परीक्षण कर मनन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा पेश आपत्ति कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण को अनावश्यक लंबित करने की गरज से पेश किया गया है तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट सभी पक्षकारान को अपने–अपने हिस्से एवं कब्जे अनुसार तैयार की गई अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 4 के द्वारा पेश आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बटवारा रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। आ.ख.नं. 3202 रकबा 0.22 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा तह0 शाहपुरा के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

1. **आ.ख.नं. 3202/1 रकबा 0.0440 है0 भूमि बर्फी देवी पत्नी मदनलाल हि. 1/7, मोहन द्वारकेश ब्रजेश कुमार पि0 मदनलाल हि. 3/7, राजू देवी तारादेवी कविता देवी पुत्रियान मदनलाल हि. 3/7 जाति नाई के हिस्से में रहेगी।**
2. **आ.ख.नं. 3202/2 रकबा 0.0440 है0 भूमि मीरा देवी पुत्री बंशी जाति नाई के हिस्से में रहेगी।**
3. **आ.ख.नं. 3202/3 रकबा 0.0440 है0 भूमि हरिनारायण पुत्र बंशी जाति नाई के हिस्से में रहेगी।**
4. **आ.ख.नं. 3202/4 रकबा 0.0440 है0 भूमि राजकुमार पुत्र सत्यनारायण हि. 1/7, पंकज पुत्र सत्यनारायण हि. 1/7, रतना देवी संतोष शालू पुत्रियान सत्यनारायण हि. 3/7, विमला पुत्री सत्यनारायण हि. 1/7, कोयली देवी पत्नी सत्यनारायण हि. 1/7 जाति नाई के हिस्से में रहेगी।**
5. **आ.ख.नं. 3202/5 रकबा 0.0440 है0 भूमि कृष्ण कुमार मुकेश कुमार पि0 दुर्गाप्रसाद हि. 2/5, विमला देवी रोशन कुमारी मंजू देवी पुत्रियान दुर्गाप्रसाद हि. 3/5 जाति नाई के हिस्से में रहेगी।**

नोटः– चुकि पंकज पुत्र सत्यनारायण फौत हो चुका है तथा नाम हजफ का प्रा0पत्र दिनांक 1.2.19 को स्वीकार हो चुका है लेकिन कुर्रेजात रिपोर्ट में पंकज के वारिस होना अंकित है जो नाम हजफ प्रा0पत्र व कुर्रेजात रिपोर्ट में दर्ज नाम में भिन्नता होने के कारण मृतक पंकज का हिस्सा उसके विधिक वारिसान के नाम तहसीलदार शाहपुरा नियमानुसार खोलने की कार्यवाही करेगें ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7/4/2021 को खुले इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

वाद पत्र संख्या :– 195/2015

उनवान

1. मदनलाल पुत्र बन्शीधर जाति नाई निवासी वार्ड नं0 11 शाहपुरा जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)
1/1 बर्फी देवी पत्नी स्व0 मदनलाल
1/2 मोहनलाल
1/3 द्वारकेश
1/4 बृजेश कुमार
पुत्रान मदन लाल जाति नाई नि. वार्ड 11 पंसारियो का मोहल्ला शाहपुरा , जयपुर
1/5 राजा देवी पुत्री मदन लाल पत्नी राजेन्द्र सैन नि. वार्ड 23 कचिमागढ, तह. श्रीमाधोपुर जिला सीकर
1/6 तारा देवी उर्फ गुडडी पुत्री मदन लाल पत्नी शिम्भू दयाल सैन नि. वार्ड 3 स्टेशन रोड पेट्रोल पम्प के पिछे श्रीमाधोपुर जिला सीकर
1/7 कविता सैन पुत्री मदन लाल पत्नी चन्द्रमोहन सैन नि. ब्रहमपुरी, खण्डेला जिला सीकर

बनाम

1. गुलाब देवी पत्नी बंशीधर (मृतक नाम हजफ दि. 1.2.2019)
2. दुर्गाप्रसाद पुत्र बंशीधर (मृतक दौराने दावा)
2/1 कृष्ण कुमार
2/2 मुकेश कुमार
पुत्रान दुर्गाप्रसाद जाति नाई नि. वार्ड 11 दिल्ली दरवाजे के पास शाहपुरा जिला जयपुर।
2/3 विमला देवी पुत्री दुर्गा प्रसाद पत्नी सुरेश नाई नि. साईवाड तह. शाहपुरा, जयपुर
2/4 रोशन कुमार पुत्री दुर्गा प्रसाद पत्नी रवि नाई नि. छावनी, नीमकाथाना, सीकर
2/5 मंजू उर्फ बेबी पुत्री दुर्गा प्रसाद पत्नी श्यामलाल नाई नि. क्वाटर नं. 20 पी.एम.आई कालॉनी भवानी सिंह रोड 22 गोदाम, जयपुर
3. सत्यनारायण पुत्र बंशीधर नाई (मृतक दौराने दावा)
3/1 राजकुमार पुत्र सत्यनारायण नाई नि. 1/5 बुध विहार फेज1, नई दिल्ली
3/2 पंकज कुमार पुत्र सत्यनारायण नाई (नाम हजफ आदेश दि. 1.2.2019)
3/3 कोयली पत्नी सत्यनारायण नाई नि.शाहपुरा हाल नि. 1/5 बुधविहार, नई दिल्ली
3/4 विमला देवी पुत्री सत्यनारायण नाई नि.शाहपुरा हाल नि. 1/5 बुधविहार, नई दिल्ली
3/5 रतना पुत्री सत्यनारायण पत्नी अरूण
3/6 सन्तोष कुमारी पुत्री सत्यनारायण पत्नी वरूण जाति नाई निवासी नगला डेयरी म0नं0 176 हरफुल विहार दिल्ली
3/7 शालु पुत्री सत्यनारायण पत्नि राकेश नाई निवासी न्यू टावन प्रर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद
4. हरिनारायण पुत्र बन्शीधर जाति नाई निवासी वार्ड नं0 11 खारी कुई के पास शाहपुरा
5. मीरा पुत्री बन्शीधर पत्नि ओमप्रकार जाति नाई निवासी कावट हॉलवासी श्यामनरगर 160 फुट नागल रोड नाडी का फाटक बैनाड रोड जयपुर ।
6 पटवारी हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
7. उप पंजीयक अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
9. मंगलचन्द
10.मोहनलाल
पुत्रान प्रभातराम जाति जाट निवासी ढाणी तमियावाली तन शाहपुरा

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर टी ए

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बटवारा रिपोर्ट के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है। आ.ख.नं. 3202 रकबा 0.22 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा तह0 शाहपुरा के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है–

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)

1. आ.ख.नं. 3202/1 रकबा 0.0440 है0 भूमि बर्फी देवी पत्नी मदनलाल हि. 1/7, मोहन द्ववारकेश ब्रजेश कुमार पि0 मदनलाल हि. 3/7, राजू देवी तारादेवी कविता देवी पुत्रियान मदनलाल हि. 3/7 जाति नाई के हिस्से में रहेगी।
2. आ.ख.नं. 3202/2 रकबा 0.0440 है0 भूमि मीरा देवी पुत्री बंशी जाति नाई के हिस्से में रहेगी।
3. आ.ख.नं. 3202/3 रकबा 0.0440 है0 भूमि हरिनारायण पुत्र बंशी जाति नाई के हिस्से में रहेगी।
4. आ.ख.नं. 3202/4 रकबा 0.0440 है0 भूमि राजकुमार पुत्र सत्यनारायण हि. 1/7, पंकज पुत्र सत्यनारायण हि. 1/7, रतना देवी संतोष शालू पुत्रियान सत्यनारायण हि. 3/7, विमला पुत्री सत्यनारायण हि. 1/7, कोयली देवी पत्नी सत्यनारायण हि. 1/7 जाति नाई के हिस्से में रहेगी।
5. आ.ख.नं. 3202/5 रकबा 0.0440 है0 भूमि कृष्ण कुमार मुकेश कुमार पि0 दुर्गाप्रसाद हि. 2/5, विमला देवी रोशन कुमारी मंजू देवी पुत्रियान दुर्गाप्रसाद हि. 3/5 जाति नाई के हिस्से में रहेगी।

नोटः— चुकि पंकज पुत्र सत्यनारायण फौत हो चुका है तथा नाम हजफ का प्रा0पत्र दिनांक 01.02.19 को स्वीकार हो चुका है लेकिन कुर्रेजात रिपोर्ट में पंकज के वारिस होना अंकित है जो नाम हजफ प्रा0पत्र व कुर्रेजात रिपोर्ट में दर्ज नाम में भिन्नता होने के कारण मृतक पंकज का हिस्सा उसके विधिक वारिसान के नाम तहसीलदार शाहपुरा नियमानुसार खोलने की कार्यवाही करेगें ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा के नाम तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 7/4/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह — व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान